A 6/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी

पीठासीन अधिकारी– **श्री घनश्याम शर्मा**
आर.ए.एस

मिसल संख्या	**तारीख दायर**	**तारीख फैसला**
225/प्रा.पत्र/2017	09.05.2017	19.07.2024

शोकरण आ0 रामनाथ जाति गुर्जर निवासी रेण तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
–**प्रार्थी**

बनाम

1. सोनू आ0 नंदा जाति बैरवा निवासी ग्राम रेण फार्म तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी।
2. राकेश आ0 नंदा जाति बैरवा निवासी ग्राम रेण फार्म तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी।
3. काली बैवा नंदा जाति बैरवा निवासी ग्राम रेण फार्म तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी।
4. आवंटन परामर्शदात्री समिति हिण्डोली जर्ये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी।

–**अप्रार्थीगण**

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से–श्री शम्भू दयाल शर्मा एड.
अप्रार्थीगण की ओर से–श्री कैलाश मेघवाल एड.

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 इस न्यायालय में प्रस्तुत कर भूमि खसरा संख्या 1219/1523 रकबा 09 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 1602/1219 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 15 बीघा वाके ग्राम बडगांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी का नाथू आ0 मांगीलाल जाति बैरवा को किया गया आवंटन आदेश दिनांक 12.10.1977 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है। आवंटी नाथू की नाओलाद मृत्यु हो चुकी है अप्रार्थीगण आवंटी के भाई नंदा के लडके है। प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

बहस समाअत की गई।

वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि आवंटी को विवादित कृषि भूमि खसरा संख्या 1219/1523 रकबा 09 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 1602/1219 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 15 बीघा वाके ग्राम बडगांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी का आवंटन नाथू आ0 मांगीलाल जाति बैरवा के नाम परामर्शदात्री समिति द्वारा दिनांक 12.10.1977 को मिसल संख्या 855 से किया गया था। आवंटी नाथू नाओलाद फौत हो गया, आवंटी के भाई नंदा के लडके उसके विधिक वारिस होने से उनको पक्षकार

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)

A 6/2

बनाया है। उक्त भूमि को प्रार्थी ने गत 54 वर्ष पूर्व पडत से फाडकर आबाद किया था। उक्त भूमि का नाथू आ0 मांगीलाल बैरवा के नाम गलत आंवटन कर दिया गया। आवंटन रिक्त भूमि का किया जाता है तथा आवंटन के समय उक्त भूमि रिक्त नहीं थी, भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त था। उक्त भूमि के खसरा नम्बर आवंटन की उद्घोषणा सूची में नहीं थे। आवंटी नाथू आ0 मांगीलाल द्वारा प्रार्थी के कब्जे काश्त की उक्त आवंटित भूमि अपने नाम दर्ज करवा लेने की जानकारी मिलने पर प्रार्थी ने आवंटी नाथू को ओलमा दिया कि आपने मेरे कब्जे की भूमि का आंवटन क्यो करवाया, तो आवंटी ने अपनी गलती का अहसास करते हुये आवंटित भूमि में उक्त आवंटन से सृजित हूये अपने समस्त अधिकार दिनांक 16.06.1998 को 10 रूप्ये के स्टाम्प पर त्याग पत्र रूबरू गवाहान लिखवा कर पब्लिक नोटेरी से नोटेरी करवा कर प्रार्थी को दे दिया था इस प्रकार आवंटी स्वयं ने भी उक्त आवंटन आदेश को गलत आवंटित होना माना है और भूमि को सिवायचक दर्ज करवाने का आश्वासन दिया था। प्रार्थी अनपढ होने से आवंटी की बात पर विश्वास कर लिया, इस कारण प्रार्थी ने पूर्वमें कार्यवाही पेश नही की और प्रार्थी भूमि पर काश्त करता रहा। आवंटी का आदिनाक तक आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नही रहा है। आवंटन नियमों के अनुसार जिस ग्राम में भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध हैं वहां भूमि का आवंटन भूमिहीन व्यक्तियों को वरियता के आधार पर किया जाना चाहिए परन्तु अप्रार्थी भूमिहीन नहीं था, अप्रार्थी के नाम अन्य भूमि भी है। आवंटी द्वारा आवंटन के समय भी सही तथ्यों को छिपाकर जमीन आवंटित करवाई है। आवंटन के पूर्व व आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर आवंटि का कब्जाकाश्त नहीं रहा हैं ओर ना ही आवंटी के वारीसान का कभी कब्जाकाश्त रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 10.04.2017 को भूमि पर से प्रार्थी को बेदखल करने की धमकी दी, तब प्रार्थी ने भूमि की जमाबंदी की नकल निकलवाई तब प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि अभी भी भूमि नाथू के ही नाम दर्ज है। इस प्रकार जानकारी से प्रार्थना पत्र बिना विलम्ब प्रस्तुत किया यदि विलम्ब माना जावे तो क्षमा किये जाने हुतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर आवंटन नियम 14(3) का उल्लंघन किया गया हैं। आवंटन के पश्चात आवंटि को भौतिक कब्जा नहीं दिलाया गया था।. अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित आवंटन आदेश दिनांक 12.10.1977 को खारिज किया जावे।

वकील अप्रार्थीगण ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि नाथू आ0 मांगीलाल बैरवा को आराजी खसरा संख्या 1219/1523 रकबा 09 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 1602/1219 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 15 बीघा वाके ग्राम बडगांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी का आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा दिनांक 12.10.1977 को किया गया था। आवंटी नाथू की नाओलाद मृत्यु हो चुकी है अप्रार्थीगण आवंटी के भाई नंदा के लडके है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में जो तथ्य अंकित किये गये हे वो गलत व बनावटी है, प्रार्थी का आंवटित भूमि पर कभी कब्जा नही रहा है वरन आवंटी का कब्जा रहा है। आवंटी को भूमि का आवंटन परार्मशदात्री समिति द्वारा नियमानुसार प्रक्रिया का पालन कर किया गया है। आवंटी के द्वारा दिनांक 16.06.1998 को जारी हक त्याग का

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

A6/4

कपट या दुर्व्यपदेशन (misrepresentation) द्वारा प्राप्त किया गया हो या नियमों के विरूद्व किया हो अथवा यदि आवंटिती ने आवंटन की शर्तो में किसी भी शर्त को भंग किया हो तो ऐसे आंवटन को निरस्त किया जा सकेगा। उक्त आवंटन को खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतएवः परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा नाथू आ0 मांगीलाल बैरवा को किया गया आवंटन आराजी खसरा संख्या 1219/1523 रकबा 09 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 1602/1219 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 15 बीघा वाके ग्राम बडगांव तहसील हिण्डोली दिनांक 12.10.1977 को एतद् द्वारा निरस्त किया जाकर उक्त आवंटित भूमि को राजस्व अभिलेख में राजकीय सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अतिक्रमी के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय के भिजवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 19.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर,
बून्दी

अति. जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)